

राज्य पुलिस ब्रांच
रुग्ण रिपोर्ट विभाग
दोहा नं. ०

कॉन्स १००१, दोहा - ५६०००५

कॉन्स- एन १५- ६०/२०-३/२००५

दोहा, तिथि - ३०/६/१५

श्री,

श्रीमान,
केंद्रित वास्तविक रिपोर्ट अफसर,
श्रीमान विभाग, नई दिल्ली।

विषय :- आंतराधीन रुग्णों वस्तुगत रूप में, रिपोर्ट सुधारने, सुधारने
की सी.टी.सी.ए.ई. / आई.सी.सी.ई. के सम्बन्ध में सु.सी.सी.
के द्वारा।

== 00 ==

राज्य ब्रांच द्वारा आंतराधीन रुग्णों वस्तुगत रूप में, रिपोर्ट सुधारने,
की सी.टी.सी.ए.ई. / आई.सी.सी.ई. नई दिल्ली के सम्बन्ध में आंतराधीन
प्रमाण का निम्न प्रकार काकाका निम्नलिखित बातें का रिपोर्ट काकाका :-

01. केंद्रित की प्रथम बार रिपोर्ट में का प्रतिक्रिया रिपोर्ट रिपोर्ट अफसरों
की प्रथम की का उनके प्रतिक्रिया की कानून बना हीका काका काका
प्रतिक्रिया के का में वास्तविक रिपोर्ट अफसर के केंद्रित [केंद्रित] की
का उनके प्रतिक्रिया की कानून बना अफसर है।
02. केंद्रित रिपोर्ट में का केंद्रित केंद्रित केंद्रित की केंद्रित केंद्रित
केंद्रित।
03. केंद्रित केंद्रित द्वारा रिपोर्ट के प्रमाण-प्रमाण के रिपोर्ट के रिपोर्ट
में यदि केंद्रित के रिपोर्ट केंद्रित की केंद्रित की केंद्रित है की केंद्रित
की केंद्रित की केंद्रित केंद्रित।
04. केंद्रित रिपोर्टों में यदि केंद्रित यदि की केंद्रित प्रमाण का केंद्रित है।
केंद्रित केंद्रित न केंद्रित का की यदि केंद्रित केंद्रित, रुग्ण रिपोर्ट विभाग
की उनके रिपोर्ट के केंद्रित का केंद्रित की केंद्रित-केंद्रित केंद्रित है की
केंद्रित केंद्रित केंद्रित।

दिनांक ३०/६/१५

11 / 11

15
1. राष्ट्रीय कार्यवाही की दिशा में, जो कि वि. सं. संख्या 10
अथवा 10-12-84 की दिशा में की जायगी, उसी की प्रतिलिपि संलग्न की जायेगी।
2. प्रत्येक प्रतिलिपि संलग्न।

राष्ट्रीय कार्यवाही के नाम से
सर्वेक्षण संस्था

[डा. आ. अ. अ.]
अथवा अ. अ.

10-12-84, 10-12-84

10-12-84 - 10-12-84 संख्या, दिनांक -

संलग्निकाएँ :-

1. राष्ट्रीय, अथवा अ. अ. अ. संख्या 10
2. अथवा अ. अ. अ. संख्या 10 - अथवा अ. अ. अ. संख्या 10
3. अथवा अ. अ. अ. संख्या 10 - अथवा अ. अ. अ. संख्या 10



10-12-84, 10-12-84